

राजस्थान सरकार  
गृह (ग्रुप-1) विभाग

गृह (ग्रुप-6) विभाग  
शासन सचिवालय, जयपुर  
डाफ्तरी संख्या 1804  
दिनांक 7/11/24

क्रमांक - प्र.18(06)गृह-1/2017 पार्ट-20735

जयपुर, दिनांक:-

आज्ञा

राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 62 (01) तथा 63 के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 14.10.2022 से राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय पुलिस जबाबदेही समिति के गठन किये जाने की घोषणा की गई थी। उक्त समिति के अध्यक्ष हेतु श्री एच. आर. कुडी का मनोनयन किया गया था, जिनके कार्यकाल में इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 14.10.2024 द्वारा एक माह (दिनांक 13.11.2024 तक) की गई अभिवृद्धि में एक माह की अभिवृद्धि (दिनांक 13.12.2024 तक) की जाती है।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

~~क.श.~~  
(कश्मी कर)

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि निर्दिष्ट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, मा0 राज्यमंत्री, गृह विभाग।
4. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेश सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, गृह विभाग।
6. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
7. निदेश सचिव, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पुलिस जबाबदेही समिति, राजस्थान, जयपुर।
8. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, कानून एवं व्यवस्था, सदस्य सचिव।
9. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह ग्रुप-6 विभाग को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने के संबंध में।
11. रक्षित भद्रावली।

~~क.श.~~  
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

Sh. DV

~~Sh. DV~~  
7/11/24